दिनांक– 19.11.2020

सेवामें

श्रीमान नोडल अधिकारी महोदय,
जनसूचना पॉर्टल राजस्थान

विषयः– जनसूचना पोर्टल के अपडेट के सम्बन्ध में।

संदर्भः– सूचना अधिकार अधिनियम 2005, जनहित के लिए सर्वोपरी पोर्टल।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सूचना विभाग की टीम द्वारा जनहित के लिए जनसूचना पोर्टल का निर्माण वर्ष 2019 में हुआ इस पोर्टल से सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का पूरा पालन हो रहा है। इतना ही नही इस पोर्टल से सरकार को फायदा भी होगा। प्रायः देखने मे आया है कि सरकार कि योजनाओं को सरकारी कर्मचारी एवं टैक्स पेयर लोग भी लाभ ले रहे है जिससे गरीब लोगों को लाभ नही मिल पा रहा है। इसके लिए आपको निम्न सुझाव प्रेषित किये जा रहे है। अगर सुझावों में कोई गलती हो माफ करना।

1. आपकी टीम द्वारा आज दिनांक 19.11.2020 को जनसूचना पोर्टल में कुछ बदलाव किया है उसको पहले कि तरह योजना वाईज ही रखा जावें। https://jansoochna.rajasthan.gov.in/
2. सराकर द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाए **आधार कार्ड से जमीन को, पैन कार्ड को, बैंक खाते को, राशनकार्ड को, पहचान पत्र को, जनाधार कार्ड को, ड्राईवीगं लाईसेंस, जन्म प्रमाण पत्र को आधार से जोड़ देना चाहिए।**
3. सरकार के सभी कमचारियों के आधार कार्ड को नियुक्ति आदेश पत्र के साथ लिंक कर देना चाहिए और राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को **एस.एस.ओ राजस्थान पॉर्टल से** जोड़ देना चाहिए। जिससे अगर कर्मचारी सरकारी योजना लाभ लेता है तो पोर्टल पर यह मैसेज आना चाहिए का **आप राज्य सरकार के कर्मचारी है जिससे आप योजना के लिए पात्र नही है।** ऐसा करन पर **महत्वाकांशी योजना एन.एफ.एस.ए.** मे जो प्रकरण कर्मचारियों के आ रहे है उस पर लगाम लगेगी।
4. अगर आधार से प्रत्येक इन्सान के सभी दस्तावेज जोड दिये जावें तो पूर्णरूपेण पारदर्शिता आ सकती है।
5. जनसूचना पोर्टल में एक आदमी कितनी योजनाओं का लाभ ले रहा है का ऑपशन पोर्टल पर आना चाहिए जैसे आधार, पैन, जनआधार, राश्नकार्ड, मो0न0 इनमें से कोई एक डालने पर डिटेल आ जानी चाहिए जैसे ईमित्रा पर आता है जैसे –

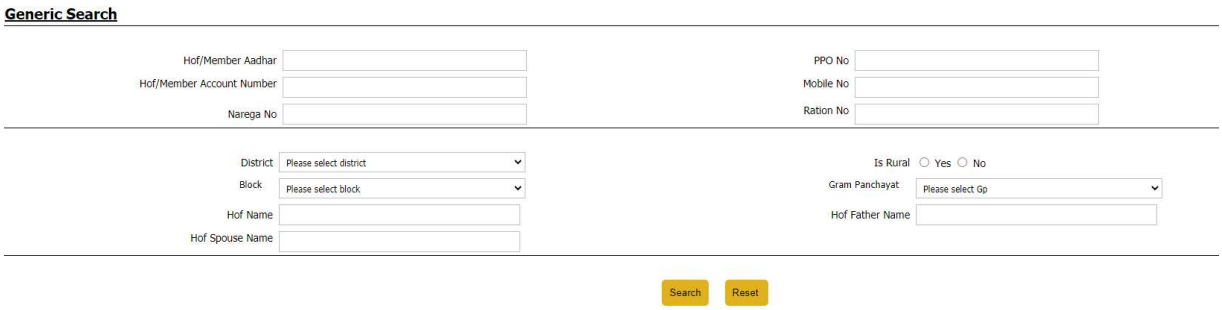

6. जन्म से लेकर मृत्यु तक एवं सभी डिजिटल दस्तावेज ई–लोकर https://digilocker.gov.in/ पोटल पर प्रदशित होने चाहिए इस पोर्टल पर जैसे आधार कार्ड, गैस कनेक्शन, पैन कार्ड, सीबीएसी स्कुल की मार्कसीट आदि प्रदर्शित हो रहे है इस पर सभी डिजिटल दस्तावेज प्रदर्शित होने चाहिए।
7. जनसूचना का https://jansoochna.rajasthan.gov.in/index.php/pds/ यही पोर्टल रखे।
8. जनसूचना पोर्टल पर Circulars Details में दस्तावेज प्रदर्शित नही हो रहे है।
9. जन्म प्रमाण पत्र को भी आधार से जन्म के 5 वर्ष के अन्दर तक आधार से लिंक करना चाहिए साथ ही राशनकार्ड में नाम जोडने के लिए आधार से ही नाम जुड़ना चाहिए ताकि जनता एवं सरकार को परेशानी नही हो और स्वतः ही सीड़िग हो जानी चाहिए। राशन कार्ड में जन्म से तीन वर्ष बाद नाम जोड़ने का ऑप्शन आना चाहिए जैसे मेरी पुत्री कि जन्म दिनांक 01.01.2020 है तो राशन कार्ड में नाम 01.01.2023 में जुड़ना चाहिए तब तक आधार भी बन जायेगा फिर मैं पुत्री के फिंगर 5 साल बाद अपडेट करा लेगें।
10. जन्म पर योजनओं का दरबार खुल जाना चाहिए एवं मृत्यु पर स्वतः ही सभी योजनाए, बैंक खाता आदि बन्द हो जाना चाहिए एवं अपने परिजन को खाते में जमा पैसा मिल जाना चाहिए।
11. कुछ लोग आज भी सरकारी योजनाओं का कुटनीती कर, सरकार को गूमराह कर लाभ ले रहे है जिसका पत जनसूचना पोर्टल से पता चला है सरकार को उन पर कार्यवाही करनी चाहिए और जो लाभ ले लिया है उस लाभ का 5 गूना कर वापिस लेना चाहिए साथ ही कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए।
12. जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों द्वारा **एन.एफ.एस.ए.** का लाभ लिया गया था सरकार ने अच्छा कदम उठाया कि 27 रूपये किलो के हिसाब से वसूली कि है।
13. कुछ प्रकरण सामने आये कि लोग दुनिया में है ही नही बल्की परीवार के लोग योजनाओं का लाभ ले रहे है जैसे राशनकार्ड से गेहुं, पैन्शिन आदि **इसके लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि माना कि मेरी दादाजी कि मृत्यु दिनांक 01.01.2015 को हो गई और उसके पास आधार कार्ड था आधार से सब सेवाएं लिंक थी परन्तु ना तो गेहुं मिलना बन्द हुआ ना ही वृद्वावस्था पैन्शिन रूकी और माना परीवार के पास खाते का एटीएम था जो वृद्वावस्था पैन्शिल खाते में आ रही थी नवम्बर तक आसानी से निकाल ली गई और गेहु भी ले लिया गया क्योकि वृद्वावस्था पैन्शिल का सत्यापन न होने कि वजह से रूक गई है लेकिन गेहु मिलना नही रूका इसके**

लिए सरकार को ठोस कदम यह उठाना है कि मृत्यु प्रमाण पत्र को भी आधार से लिंक कर देना चाहिए। जिस दिन मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो जाता है उसी दिन से ही सभी योजना स्वतं ही बन्द हो जानी चाहिए क्योंकि सभी योजनाये आधार से लिंक थी और 21 दिवस में मृत्यु प्रमाण पत्र अवश्य बनाने ही कार्यवाही होनी चाहिए।

14. सरकार को एक डेटा पॉर्टल बनाना चाहिए उस पॉर्टल पर ही आम जन का सारा डेटा होना चाहिए और आधार के.वाई.सी. माध्यम से संबधित पॉर्टल पर डेटा आना चाहिए। और आधार से सभी कागजात को लिंक करना चाहिए।
15. आधार में एक बार ही अपडेट का ऑप्सन होना चाहिए जो भी विशेष परिस्थिति में।
16. डेटा पॉर्टल भी आधार से लिंक कर देना चाहिए।
17. सभी राज सरकारो का अपना–अपना पॉर्टल होना चाहिए जैसे कि राजस्थान का एस.एस.ओ राजस्थान पॉर्टल एवं केन्द्र का सभी राज्यों का एक ही होना चाहिए। जिस प्रकार उमंग पॉर्टल में केन्द्र कि सभी योजनाए सम्मलित है।
18. कुछ योजनाओं के ऐसे प्रकरण सामने आये है कि ऑनलाईन में सबसे बडा घपला सामने आया है जो चिन्ता का विषय है खास कर श्रम विभाग, समाजकल्याण विभाग, कौशल शिक्षा आरएसएलडीसी, चिकित्सा विभाग, और सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि।
19. इस पॉटल पर एसएसओं राजस्थान को लिंक किया जाए और राजस्थान का एक ही पॉर्टल बनाया जाये। एवं हिन्दी में रखा जावें।

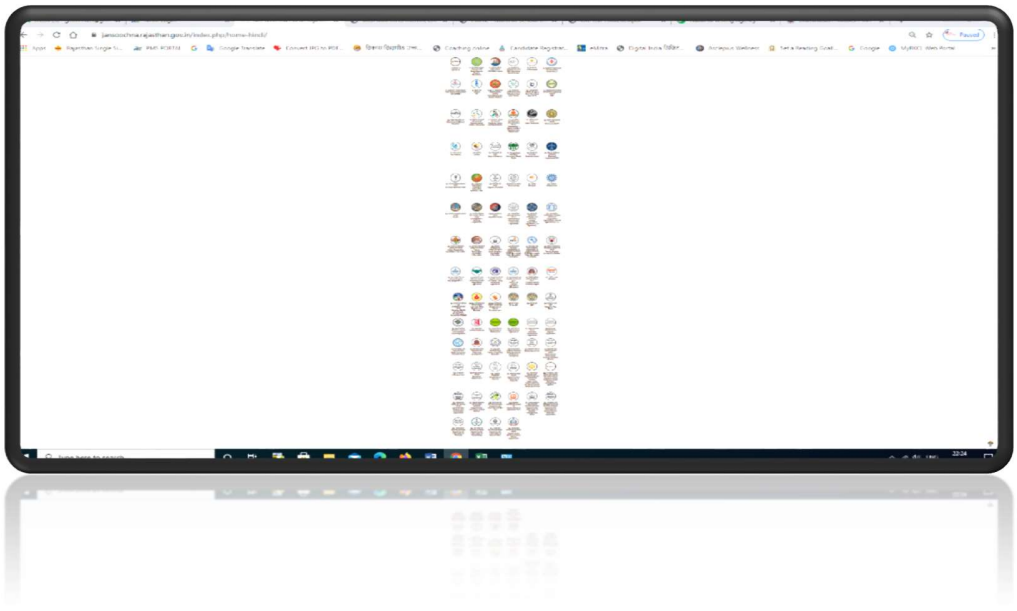

http://jansoochna.rajasthan.gov.in/index.php/home-hindi/ साईट यही रखे।

20. Show entries 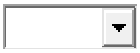 इस ऑपसन में 100 के स्थान पर 10000 तक किया जावे ताकि पीडिएफ एक साथा डाउनलोड हो सके।

धन्यवाद